



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 2006/श्रावण 2, 1928

No. 333]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 2006/SRAVANA 2, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2006

सा.का.नि. 441(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटेरी नियम, 1956 में उससे संलग्न प्ररूप IIख में "भारत सरकार के संयुक्त सचिव,.....(राज्य का नाम) सरकार के सचिव" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "अपर सचिव, भारत सरकार/सचिव,.....(राज्य का नाम) सरकार" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5 (187)/2003-एन.सी.]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

टिप्पण :—मूल नियम सं. का.नि.आ. 324 तारीख 14-2-1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8-7-1997, सं. सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31-8-1998, सं. सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5-01-2000, सं. सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28-3-2000, सं. सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21-7-2000, सं. सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12-3-2001, सं. सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9-5-2001, सं. सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25-6-2001, और सं. सा.का.नि. 467(अ) तारीख 9-6-2003 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2006

G.S.R. 441 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952, (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in Form IIB appended thereto, for the words and brackets “Joint Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of.....(Name of the State),” the words and brackets “Additional Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of(Name of the State)” shall be substituted.

[F. No. 5 (187)/2003-NC]

T. K. VISWANATHAN, Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* No. S.R.O. 324, dated 14-02-1956 and subsequently amended by No. G.S.R. 370(E), dated 08-07-1997, No. G.S.R. 547(E), dated 31-8-1998, No. G.S.R. 17(E), dated 05-01-2000, No. G.S.R. 262(E), dated 28-03-2000, No. G.S.R. 630(E), dated 21-07-2000, No. G.S.R. 172(E), dated 12-03-2001, No. G.S.R. 330(E), dated 09-05-2001, No. G.S.R. 460(E), dated 25-06-2001, and No. G.S.R. 467(E), dated 09-06-2003.